मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(शासकीय कर्मचारी कल्याण संगठन)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

भोपाल, दिनांक 10 मई, 1995

क्रमांक एफ 10-8/95/1-15/

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—कर्मचारी संघों की गतिविधियां, कार्यालय समय के पश्चात् ही संपादित करने बाबत्.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का नियम (3) शासकीय सेवकों से पूर्ण रूप से सनिष्ठ रहने, कर्तव्यपरायण रहने और ऐसे कार्य न करने की अपेक्षा करता है, जो कि शासकीय सेवक के लिये अशोभनीय हो.

2. शासन के देखने में यह बात आयी है कि कतिपय कर्मचारी संघों में कार्यरत विभिन्न शासकीय सेवक कार्यालयीन समय में तथा कार्यालयीन परिसर में कर्मचारी संघों की गतिविधियां संपादित करते हैं, जिसके फलस्वरूप शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है, और अनुशासनहीनता की स्थिति निर्मित हो जाती है. यह स्थिति आचरण नियम (3) के विरुद्ध है.

3. अत: उपर्युक्त संदर्भ में शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि भविष्य में कार्यालयीन समय में किसी भी कर्मचारी संघ द्वारा मंत्रालय अथवा कार्यालय परिसरों में कर्मचारी संघों की गतिविधियां संचालित न की जायें (जैसे कार्यालय के बरामदों/कमरों में नारे लगाना, धरना देना या संघों की बैठक करना या सदस्यता के शुल्क के रूप में चंदा एकत्रित करना, कोई भी शिकायत/कठिनाई होने पर सामूहिक रूप से अधिकारियों के कमरे में प्रवेश करना या कमरों के सामने भीड़ एकत्रित करना इत्यादि (यदि किसी संघ के पदाधिकारियों द्वारा इस प्रकार की गतिविधियां अपनाई जाती है, तो इसे शासन द्वारा गंभीरता से लिया जायेगा और वे अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी होंगे तथा संघों के विरुद्ध भी उपयुक्त कार्रवाई की जा सकेगी.

4. अत: समस्त विभागों को निर्देशित किया जाता है कि कर्मचारी संघों के पदाधिकारी एवं सदस्यों द्वारा ''मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965'' में उल्लेखित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाये, और यह देखा जाये कि शासकीय सेवकों की गरिमा के प्रतिकूल कोई भी ऐसा अशोभनीय कृत्य न किया जाये, जो कदाचरण की श्रेणी में आता हो.

हस्ता./-
(एस. सी. पंड्या)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग
(शासकीय कर्मचारी कल्याण संगठन)

भोपाल, दिनांक 10 मई, 1995

क्रमांक एफ 10-8/95/1-15

प्रतिलिपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश.
   सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर, मध्यप्रदेश.

सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
सचिव, चयन बोर्ड, मध्यप्रदेश, भोपाल.
राज्यपाल के सचिव, भोपाल, मध्यप्रदेश
सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय,भोपाल. म. प्र.
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

---

2. माननीय मुख्यमंत्री जी/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक की ओर सूचनार्थ.

---

3. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. राजपत्रित अधिकारी संघ, आवास क्रमांक 110/18, शिवाजी नगर, भोपाल.
4. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ आवास क्र. 85/61, तुलसी नगर, भोपाल.
5. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. लघु वेतन कर्मचारी संघ, आवास क्र. 12/5, साउथ टी. टी. नगर, भोपाल.
6. प्रमुख महामंत्री, म. प्र. शिक्षक कांग्रेस, ई-6/45, बंगले, नार्थ टी. टी. नगर, भोपाल.
7. महामंत्री, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ, आवास क्र. 48/26, साउथ टी. टी. नगर, भोपाल.
8. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. कर्मचारी कांग्रेस, आवास क्र. 98/48, तुलसी नगर, भोपाल.
9. महासचिव, म. प्र. अनुसूचित जाति, जनजाति अधिकारी/कर्मचारी संघ, आवास क्र. 83/55, तुलसी नगर, भोपाल.
10. अध्यक्ष, म. प्र. सचिवालयीन कर्मचारी संघ, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(एस. सी. पंड्या)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग
(शासकीय कर्मचारी कल्याण संगठन)